Paper VIII Part III B-II 1

Dr. Khalid Hussain

Customs as Sources of International Law
(अन्तर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत के रूप में प्रथाएं)

अन्तर्राष्ट्रीय विधि के जिन स्रोतों को सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता है और जिनका International Court of Justice (अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय) की संविधि की 38वीं धारा में उल्लेख है उनमें प्रथाएँ प्राचीनतम हैं। 19वीं सदी के अंत तक प्रथाओं को ही अन्तर्राष्ट्रीय विधि के सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में स्वीकार किया जाता था। यद्यपि 20वीं सदी में बहुत सी बहुपक्षीय विधि निर्माणी ~~बहुपक्ष~~ संधियों के सम्पन्न होने के चलते प्रथाओं के स्थान पर संधियाँ सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत बन गई हैं परन्तु आज भी दूसरे स्थान पर ~~संधियों~~ प्रथाओं का ही महत्व है। इसके अतिरिक्त यह बात भी उल्लेखनीय है कि ~~प्रथाओं~~ विधिकारी बहुपक्षीय संधियों का आधार भी मुख्य रूप से प्रथाएँ ही रही हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि किसी संधि के प्रावधानों की ~~व्याख्या को स्पष्ट करने में~~ के अर्थ के संबंध में विवाद की स्थिति में उन प्रावधानों को स्पष्ट करने के लिए प्रथाओं के महत्व को अन्तर्रा ICJ ने स्वीकार किया है।

अन्तर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत के रूप में प्रथाओं को समझने के लिए प्रथाओं एवं व्यवहारों (Customs and Uses) के बीच अन्तर एवं इनके बीच पारस्परिक सम्बन्धों को स्पष्ट करना वांछनीय होगा। प्रथा आचरण करने के ऐसे स्पष्ट एवं सतत् स्वभाव को कहते हैं जिसका विकास इस विश्वास के अन्तर्गत हुआ है कि यह आचरण अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार अनिवार्य अथवा उचित है। जहाँ तक व्यवहार का प्रश्न है वह आचरण करने का वैसा स्वभाव है जिसमें यह भाव निहित है कि यह अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अनिवार्य अथवा उचित हो। इसके अतिरिक्त व्यवहार आचरण के वैसे स्वभाव को कहते हैं जो अपने निर्माण की प्रारंभिक चरण में होते हैं और विश्व के अधिकांश देशों या सभी राज्यों द्वारा उन्हें सामान्य रूप से नहीं माना जाता। जबकि प्रथाएँ अपेक्षाकृत अधिक पुरानी होती हैं और इनके विकसित रूप में होने के चलते विश्व के अधिकांश देश उन्हें मानते हैं। Pitt Cobbett ~~Pitt Bell~~ ने Customs तथा Uses के बीच

के आधार को Passage in a meadow के उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट किया है। Starke ने प्रथा की सामान्यता (Generality), निरंतरता (Consistency) तथा एकरूपता और अवधि को अर्थात् material Test (भौतिक कसौटी) कहा है तथा प्रथा की बाध्यकारिता के पीछे राज्यों के विश्वास को मनोवैज्ञानिक कसौटी (Psychological Test) कहा है।

प्रथाओं के संबंध में दूसरी महत्वपूर्ण बात यह तय करना है कि कोई कोई व्यवहार प्रथा का रूप धारण कर लेता है इस उद्देश्य के लिए सामान्यतः पाँच साधनों का सहारा लिया जाता है—

(i) संप्रभु राज्यों के विदेश कार्यालयों के वहाँ दस्तावेज जिनमें प्रथागत नियमों के संबंध में राज्यों के व्यवहार के प्रमाण निहित होते हैं। (Documents of the foreign offices of the Sovereignty States containing the records of their practices in relation to the customary roles.)

(ii) विधिवेत्ताओं के ग्रंथ एवं पुस्तक जिनमें विभिन्न प्रथागत नियमों के विकास के प्रक्रिया की व्याख्या करके दर्शायी जाती है। (The

(iii) अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का व्यवहार (The Practices of International Organisation and Institutions.)

(iv) अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के व्यवहार तथा

(v) संप्रभु राज्यों के विधि न्यायालयों के व्यवहार (Practices of the law Courts of the Sovereign states)

प्रथागत नियमों के अस्तित्व की जाँच के लिए साधनों या प्रथा प्रमाणों के महत्व को स्वीकार करते हुए अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग (International law Commission) को यह दायित्व सौंपा गया है कि वह प्रथागत नियमों के प्रमाणों को एकत्रित करें।

यद्यपि 19वीं सदी के अंत तक प्रथाएँ ही अंतर्राष्ट्रीय विधि के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि के

Scanned with CamScanner

B.III 3

सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि के स्रोत के रूप में स्वीकार की जाती रही है, परन्तु ये प्रथाएँ कुछ दोषों से ग्रस्त हैं। सर्वप्रथम, प्रथाओं को निर्धारित करने में बहुधा कठिनाई होती है। दूसरे, चूँकि प्रथाओं का विकास धीरे-धीरे और दीर्घकाल में होता है, इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विकास के साधन के रूप में वे बहुत उपयोगी नहीं हो सकती। तीसरे, प्रथा केवल प्रचलित व्यवहार के लागू हो सकती है, किसी नवीन नियम की जननी नहीं। अतः में प्रथागत अन्तर्राष्ट्रीय विधि अधिकांशतः पाश्चात्य यूरोपीय राज्यों के आदर्शों एवं हितों (Aims, ideals and interests) को दर्शाती है। इसलिए सोवियत संघ तथा अन्य साम्यवादी देश तथा एशिया, अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिका के नवोदित राज्यों द्वारा इन नियमों की चुनौती किया जाता रहा है।

Scanned with CamScanner